

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

—:कार्यालय आदेश:—

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.4.16 को आहुत 290वीं बैठक में निगम में 10 वर्ष से ऊपर से रिक्त पड़े औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

1. निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन तिथि से 10 वर्ष से कम अथवा अधिक रिक्त पड़े भूखण्डों हेतु (जिनके आवंटन/हस्तान्तरणपत्र/पट्टा विलेख में समयविस्तारण शुल्क की देयता का उल्लेख नहीं है) अब आवंटन दर का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से समयविस्तारण शुल्क लेकर भूखण्ड पर इकाई लगाने हेतु अथवा हस्तान्तरण करने हेतु अन्तिम रूप से 01 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा तथा अनुपयोगी एवं अहस्तान्तरित पाये जाने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन तिथि से 10 वर्ष से अधिक रिक्त पड़े भूखण्डों हेतु (जिनके आवंटन/हस्तान्तरणपत्र/पट्टा विलेख में समयविस्तारण शुल्क की देयता का उल्लेख है) को 10 वर्ष के उपरान्त प्रत्येक वर्ष आवंटन दर का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से समयविस्तारण शुल्क लेकर इकाई लगाने हेतु अथवा भूखण्ड हस्तान्तरण करने हेतु अब अन्तिम रूप से 01 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा तथा अनुपयोगी एवं अहस्तान्तरित पाये जाने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्र प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी ऐसे सभी आवंटियों को नियमानुसार नोटिस देंगे एवं प्रचार प्रसार करेंगे।

निदेशक मण्डल द्वारा पारित उक्त नीतिगत आदेश तत्काल प्रभाव से निगम में लागू किया जाता है।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 349-352/एसआईडीसी-आईए-पॉलिसी वॉल्यूम-16(Temp.) दि० 02-5-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
 2. सचिव/समस्त अनुभागाध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०।
 3. श्री एम०पी० गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक (परि०)/कम्प्यूटर, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्ष०), मुख्यालय, कानपुर

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक